न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/3995

प्र.क. /2017 पुनरीक्षण

फूलचन्द गुप्ता पुत्र बालगोविंद गुता
निवासी सामतपुर तहसील व जिला अनूपपुर

...... आवेदक

विरूद्ध

विधादेवी गुप्ता पत्नी माखनलाल गुप्ता
निवासी ग्राम जमुड़ी तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 25.10.17 को प्रस्तुत

25.10.17

30.10.17

25-10-17 ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, अनूपपुर जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा मामला क्रमांक 05/ निगरानी/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—तीन / निगरानी / अनूपपुर / भू.रा. / 2017 / 3995

फूलचन्द गुप्ता विरूद्ध विधादेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
~~19-02-2019~~ 20-02-2019	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर अनूपपुर, जिला—अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 05 / निग. / 2016—2017 में पारित आदेश दिनांक 20—09—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) 20/2/19 सदस्य	